



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
CIN : U40101UP1980SGC005065

संख्या: 734 / मा०सं०(04) / उ०नि०लि० / 2017-3(05)-मा०सं०-04 / 2015

दिनांक

18 मई, 2017

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र०पावर कारपोरेशन की अनुरूपता में उ०प्र०राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा उ०प्र०शासन के शासनादेश संख्या वे०आ०-2-287-59(एम)/08 दिनांक 16.03.2010 को अंगीकृत करते हुए कार्यालय ज्ञाप संख्या 1250/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/ 2011-43-मा०सं०(04)/2008 दिनांक 14.11.2011 द्वारा निगम के कर्मियों को दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01.01.1996 से लागू अपुनरीक्षित वेतनमान रू० 6500-200-10500-250-11000 के सापेक्ष दिनांक 01.01.2006 से अनुमन्य पुनरीक्षित वेतन बैंड-2(9300-34800) एवं सादृश्य ग्रेड वेतन रू० 4400/- के स्थान पर वेतन बैंड-2 (9300-34800) एवं ग्रेड वेतन रू० 4800/- दिनांक 01.01.2006 से अनुमन्य किया गया है।

2. शासन की अनुरूपता में उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप संख्या 996-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/12 दिनांक 21.12.2012 द्वारा मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता एवं वैयक्तिक वेतन की दरों को पुनरीक्षण किये जाने के फलस्वरूप उ०प्र०राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० द्वारा निर्गत मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता एवं वैयक्तिक वेतन के पुनरीक्षण सम्बन्धी आदेशों क्रमशः संख्या 322,323 व 324/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2009-43-मा०सं०(04)/2008 दिनांक 28 फरवरी,2009 में रू० 4800/- की ग्रेड-पे के सापेक्ष दरें उक्त आदेशों में अंकित न होने के कारण उक्त भत्तों के सम्बन्ध में जारी शासनादेशों में रू० 4800/- की ग्रेड-पे के सापेक्ष अंकित पुनरीक्षित दरें उपरोक्त निगमादेशों में एतद्वारा निम्नानुसार समाहित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

कार्यालय ज्ञाप संख्या 322/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2009-43-मा०सं०(04)/2008 दिनांक 28 फरवरी,2009

दिनांक 01.01.06 से पुनरीक्षित वेतनमानों में अनुमन्य मकान किराया भत्ता दिनांक 01.12.08 से लागू				
क्र०सं०	ग्रेड वेतन/वेतनमान(रू०)	श्रेणी-ए,बी-1 तथा बी-2 के नगरों में	श्रेणी सी के नगरों में	अवर्गीकृत श्रेणी के क्षेत्र
I	II	III	IV	V
7.	4800	2810	1405	935

कार्यालय ज्ञाप संख्या 323/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2009-43-मा०सं०(04)/2008 दिनांक 28 फरवरी,2009

ग्रेड वेतन (रू०)	नगर प्रतिकर भत्ते की दरें(रूपया)			
	कानपुर,लखनऊ, नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र)	वाराणसी, मेरठ, आगरा तथा इलाहाबाद (नगरीय क्षेत्र)	बरेली,गाजियाबाद, गोरखपुर, मुरादाबाद तथा अलीगढ़ (नगरीय क्षेत्र)	शेष जिला मुख्यालय तथा अन्य नगर जिनकी आबादी एक लाख या उससे अधिक है। (नगरीय क्षेत्र)
I	II	III	IV	V
4200 से 4800 तक	360	270	180	120

(क्रमशः - 2 पर)

13 E:\B&B\A&B\B&B\2017\17-11-17\CCA-PP Allowances.docx 18/5/17

कार्यालय ज्ञाप संख्या 324/मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2009- 43-मा0सं0(04)/2008 दिनांक 28 फरवरी,2009

वैयक्तिक वेतन की पुनरीक्षित दरें दिनांक 01.12.08 से लागू				
क्र0सं0	दिनांक 01.01.96 से प्रभावी वेतनमान	दिनांक 01.01.06 से लागू वेतन बैण्ड	सादृश्य ग्रेड-पे	स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमन्य वैयक्तिक वेतन की पुनरीक्षित दरें
9.	6500-200-10500-250-11000	9300-34800	4800	500

3. मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता एवं स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत वैयक्तिक वेतन के सम्बन्ध में निर्गत निगमादेश संख्या 322,323,324/मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2009-43-मा0सं0(04)/2008 दिनांक 28 फरवरी,2009 में निहित अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगी।


निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

संख्या : 734(1) /मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (तकनीकी/वित्त/कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/परियोजना एवं वाणिज्य), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ आफिसर/निजी सचिव।
4. मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा(झॉसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)।
6. महाप्रबन्धक(मा0सं0)/मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, वित्त/लेखा/पी0पी0एम0एम0/जानपद-नवपरियोजनायें-1/11/पर्यावरण एवं सुरक्षा/तापीय परिचालन/ईंधन/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/वाणिज्य, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल की 171वीं बैठक जो दिनांक 27.04.2017 को सम्पन्न हुई के एजेण्डा आइटम संख्या-32 के संदर्भ में सूचनार्थ।
8. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, (प्रगति), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टी0सी0/46 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. उप महाप्रबन्धक/अधी0अभि0 (04/05)/टाण्डा वाइडिंग एवं संसदीय कार्य/प्रशिक्षण/तापीय परिचालन/ जानपद, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. मुख्य लेखाधिकारी/उप मुख्य लेखाधिकारी, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा(झॉसी)/हरदुआगंज (अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)।
12. उप सचिव (मा0सं0-1/6/03), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. अधिशासी अभियन्ता(मा0सं0-02/04/रिफार्म) उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
15. मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
16. उप महाप्रबन्धक/कार्मिक अधिकारी (औद्योगिक सम्बन्ध), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
17. कट फाइल।

आज्ञा से,


(मनोज कुमार सक्सेना)
अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0-04) 18/5/17